

क्रमांक 3317002 / छ.ग. / 2014
कार्यालय प्रमुख अभियंता
जल संसाधन विभाग, सिहावा भवन
छत्तीसगढ़, रायपुर

दिनांक / 08 / 2017

प्रति,

मुख्य अभियंता,
महानदी गोदावरी कछार,
जल संसाधन विभाग,
रायपुर (छ.ग.)

विषय :— कार्यपालन अभियंता (सिविल) को स्थानांतरण शासनादेश की प्रति सौंपने बाबत्।

- संदर्भ :— 1. छत्तीसगढ़ शासन, जल संसाधन विभाग, मंत्रालय, महानदी भवन, नया रायपुर का आदेश क्रमांक एफ 01—11/31/स्था./2017 दिनांक 14.08.2017. (02)
2. छत्तीसगढ़ शासन, जल संसाधन विभाग, मंत्रालय, महानदी भवन, नया रायपुर का आदेश क्रमांक एफ 01—11/31/स्था./2017 दिनांक 14.08.2017.

विषयांतर्गत कृपया शासन के उपरोक्त संदर्भित आदेशों की छायाप्रति संलग्न प्रेषित है।
कृपया संबंधितों को शासनादेश की प्रति सौंपकर पालन प्रतिवेदन से शासन एवं इस कार्यालय को तत्काल अवगत कराने का कष्ट करें।

सहपत्र :— उपरोक्तानुसार।

अधीक्षण अभियंता (प्रशा.)
कार्यालय प्रमुख अभियंता
जल संसाधन विभाग,
छत्तीसगढ़ रायपुर

पृ.क्र. 3317002 / छ.ग. / 2014

12797

रायपुर, दिनांक 18/08/2017

प्रतिलिपि :—

1. सधिय, छत्तीसगढ़ शासन, जल संसाधन विभाग, मंत्रालय, महानदी भवन, नया रायपुर की ओर सादर सूचनार्थ सम्प्रेषित।
2. अधीक्षण अभियंता, जल संसाधन एवं भू—जल सर्वेक्षण मण्डल, रायपुर।
3. अधीक्षण अभियंता, शिवनाथ मंडल, दुर्ग।
4. कार्यपालन अभियंता, जल संसाधन संभाग, गहासमुद्र।
5. कार्यपालन अभियंता, जल संसाधन संभाग, गरियाबंद।
6. कार्यपालन अभियंता, तादुला जल संसाधन सभाग, दुर्ग।
7. श्री पी.के. आनंद, कार्यपालन अभियंता द्वारा स.क्र.—4
8. श्री निष्ठु चन्द्राकर, कार्यपालन अभियंता द्वारा स.क्र.—5
9. श्री कुलदीप नारंग, कार्यपालन अभियंता द्वारा स.क्र.—6
10. कार्यपालन अभियंता, एम.आई.एस. यूनिट, स्टेट डाटा सेंटर, रायपुर।
11. मास्टर नस्ती।

सहपत्र :— उपरोक्तानुसार।
(स.क्र.—2 से 11)

अधीक्षण अभियंता (प्रशा.)
कार्यालय प्रमुख अभियंता
जल संसाधन विभाग,
छत्तीसगढ़ रायपुर

13:8





छत्तीसगढ़ शासन
जल संसाधन विभाग
मंत्रालय
महानदी भवन, नया रायपुर
—:: आदेश ::—

नया रायपुर, दिनांक .08.2017

क्रमांक एफ ०१-११/३१/स्था./२०१७ :: राज्य शासन एतद्वारा प्रशासनिक दृष्टि से निम्नलिखित कार्यपालन अभियंताओं को तत्काल प्रभाव से स्थानांतरित कर, अस्थाई रूप से आगामी आदेश पर्यन्त, उनके नाम के समुख दर्शाये गये स्थान पर पदरथ करता है:-

क्र.	नाम एवं पदनाम	वर्तमान पदस्थापना	नवीन पदस्थापना
01	02	03	04
1	श्री पी.के. आनंद कार्यपालन अभियंता,	जल संसाधन संभाग, महासमुंद	जल संसाधन संभाग, गरियाबंद
2	श्री विष्णु चन्द्राकर, कार्यपालन अभियंता	जल संसाधन संभाग, गरियाबंद	जल संसाधन संभाग, महासमुंद

2. स्थानांतरित अधिकारी एक सप्ताह के भीतर कार्य मुक्त किये जायें। दिनांक 22.08.2017 की स्थिति में स्थानांतरित अधिकारी स्वमेव कार्यमुक्त माने जावेंगे।
3. अधिसूचित क्षेत्र से स्थानांतरित अधिकारी, एवजीदार के आने पर ही कार्यमुक्त होंगे।
4. वर्तमान में पदरथ/कार्यरत प्रभारी/अतिरिक्त प्रभार अधिकारी, नियमित अधिकारी की पदस्थापना होने के फलस्वरूप, स्वमेव मूल पदस्थापना हेतु कार्य मुक्त माने जावेंगे।
5. स्थानांतरण आदेश का पालन कराया जाकर, पालन प्रतिवेदन समय-सीमा में उपलब्ध कराने की जिम्मेदारी संबंधित मुख्य अभियंता की होगी।
6. सामान्य प्रशासन विभाग द्वारा जारी स्थानांतरण नीति वर्ष 2017 में उल्लेखित प्रावधानुसार प्रशासकीय अनुमोदन प्राप्त किया गया है।

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से
तथा आदेशानुसार

\
(नीलकण्ठ टीकाम)

संयुक्त सचिव
छत्तीसगढ़ शासन,
जल संसाधन विभाग

नया रायपुर, दिनांक १५.०८.२०१७

पूर्णाकान क्र. एफ ०१-११/३१/स्था./२०१७


प्रतिलिपि:-

1. मानो मंत्रीजी के विशेष राहायक, छत्तीसगढ़ शासन, जल संसाधन विभाग, मंत्रालय, नया रायपुर।
2. मानो रासदीय सचिव के निज सहायक, छत्तीसगढ़ शासन, जल संसाधन विभाग, मंत्रालय नया रायपुर।
3. रटाफ ऑफिसर, सचिव, संयुक्त सचिव छत्तीसगढ़ शासन, जल संसाधन विभाग, मंत्रालय, रायपुर।

- ✓ 4. प्रमुख अभियंता, जल संसाधन विभाग, सिहावा भवन, रायपुर।
5. समर्त कलेक्टर, जिला छत्तीसगढ़।
6. समर्त मुख्य अभियंता,
7. संचालक, जनसम्पर्क संचालनालय, इन्द्रावती भवन, नया रायपुर।
8. समर्त अधीक्षण अभियंता, जल संसाधन मंडल,
9. समर्त कार्यपालन अभियंता, जल संसाधन संभाग,
10. संबंधित कोषालय अधिकारी, जिला कोषालय,
11. सर्वसंबंधित अधिकारी द्वारा—प्रमुख अभियंता, जल संसाधन विभाग, सिहावा भवन, रायपुर।
12. आदेश फोल्डर।
- की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु अग्रेषित।

[Signature]
संयुक्त सचिव
छत्तीसगढ़ शासन,
जल संसाधन विभाग

11 AUG 2017





छत्तीसगढ़ शासन
जल संसाधन विभाग
मंत्रालय
महानदी भवन, नया रायपुर
—:: आदेश ::—

नया रायपुर, दिनांक | ५.०८.२०१७

क्रमांक एफ ०१-११/३१/स्था./२०१७ :: राज्य शासन एतद्वारा प्रशासनिक दृष्टि से निम्नलिखित कार्यपालन अभियंताओं को तत्काल प्रभाव से स्थानांतरित कर, अस्थाई रूप से आगामी आदेश पर्यन्त, उनके नाम के सम्मुख दर्शाये गये स्थान पर पदस्थ करता है:-

क्र.	नाम एवं पदनाम	वर्तमान पदस्थापना	नवीन पदस्थापना
01	02	03	04
1	श्री पी.के. आनंद कार्यपालन अभियंता,	जल संसाधन संभाग, महासमुंद	जल संसाधन संभाग, गरियाबंद
2	श्री विष्णु चन्द्राकर, कार्यपालन अभियंता	जल संसाधन संभाग, गरियाबंद	जल संसाधन संभाग, महासमुंद

2. स्थानांतरित अधिकारी एक सप्ताह के भीतर कार्य मुक्त किये जायें। दिनांक 22.08.2017 की स्थिति में स्थानांतरित अधिकारी स्वमेव कार्यमुक्त माने जावेंगे।
3. अधिसूचित क्षेत्र से स्थानांतरित अधिकारी, एवजीदार के आने पर ही कार्यमुक्त होंगे।
4. वर्तमान में पदस्थ/कार्यरत प्रभारी/अतिरिक्त प्रभार अधिकारी, नियमित अधिकारी की पदस्थापना होने के फलस्वरूप, स्वमेव मूल पदस्थापना हेतु कार्य मुक्त माने जावेंगे।
5. स्थानांतरण आदेश का पालन कराया जाकर, पालन प्रतिवेदन समय-सीमा में उपलब्ध कराने की जिम्मेदारी संबंधित मुख्य अभियंता की होगी।
6. सामान्य प्रशासन विभाग द्वारा जारी स्थानांतरण नीति वर्ष 2017 में उल्लेखित प्रावधानुसार प्रशासकीय अनुमोदन प्राप्त किया गया है।

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से
तथा आदेशानुसार

(नीलकण्ठ टीकाम)

संयुक्त सचिव

छत्तीसगढ़ शासन

जल संसाधन विभाग

नया रायपुर, दिनांक | ५.०८.२०१७

पृष्ठांकन का एफ ०१-११/३१/स्था./२०१७

ग्रन्तिलिपि:-

1. गान० मंत्रीजी के विशेष सहायक, छत्तीसगढ़ शासन, जल संसाधन विभाग, मंत्रालय, नया रायपुर।
2. मान० संसदीय सचिव के निज सहायक, छत्तीसगढ़ शासन, जल संसाधन विभाग, मंत्रालय नया रायपुर।
3. स्टाफ ऑफिसर, सचिव/संयुक्त सचिव छत्तीसगढ़ शासन, जल संसाधन विभाग, मंत्रालय, रायपुर।

4. प्रमुख अभियंता, जल संसाधन विभाग, सिहावा भवन, रायपुर।
 5. समस्त कलेक्टर, जिला छत्तीसगढ़।
 6. समस्त मुख्य अभियंता,
 7. संचालक, जनसम्पर्क संचालनालय, इन्द्रावती भवन, नया रायपुर।
 8. समस्त अधीक्षण अभियंता, जल संसाधन मंडल,
 9. समस्त कार्यपालन अभियंता, जल संसाधन संभाग,
 10. संबंधित कोषालय अधिकारी, जिला कोषालय,
 11. सर्वसंबंधित अधिकारी द्वारा—प्रमुख अभियंता, जल संसाधन विभाग, सिहावा भवन, रायपुर।
 12. आदेश फोल्डर।
- की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु अग्रेषित।


 संयुक्त सचिव
 छत्तीसगढ़ शासन,
 जल संसाधन विभाग



छत्तीसगढ़ शासन
जल संसाधन विभाग
मंत्रालय
महानदी भवन, नया रायपुर
—:: आदेश ::—

नया रायपुर, दिनांक .08.2017

क्रमांक एफ 01-11/31/स्था./2017 :: राज्य शासन एतद्वारा प्रशासनिक दृष्टि से स्थानीय व्यवस्था के तहत श्री कुलदीप नारंग, कार्यपालन अभियंता, तांदुला जल संसाधन संभाग, दुर्ग को अस्थायी रूप से अगामी आदेश पर्यन्त कार्यालय अधीक्षण अभियंता, शिवनाथ मंडल, दुर्ग में पदस्थ करता है।

2. स्थानांतरित अधिकारी एक सप्ताह के भीतर कार्य मुक्त किये जायें। दिनांक 22.08.2017 की स्थिति में स्थानांतरित अधिकारी स्वमेव कार्यमुक्त माने जावें।
3. स्थानांतरण आदेश का पालन कराया जाकर, पालन प्रतिवेदन समय-सीमा में उपलब्ध कराने की जिम्मेदारी संबंधित मुख्य अभियंता की होगी।
4. सामान्य प्रशासन विभाग द्वारा जारी स्थानांतरण नीति वर्ष 2017 में उल्लेखित प्रावधानुसार प्रशासकीय अनुमोदन प्राप्त किया गया है।

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से
तथा आदेशानुसार

(नीलकण्ठ टीकाम)

संयुक्त सचिव

छत्तीसगढ़ शासन, जल संसाधन विभाग

नया रायपुर, दिनांक 14.08.2017

पृष्ठांकन क्र. एफ 01-11/31/स्था./2017

प्रतिलिपि:-

1. मानो मंत्रीजी के विशेष सहायक, छत्तीसगढ़ शासन, जल संसाधन विभाग, मंत्रालय, नया रायपुर।
2. मानो संसदीय सचिव के निज सहायक, छत्तीसगढ़ शासन, जल संसाधन विभाग, मंत्रालय नया रायपुर।
3. स्टाफ ऑफिसर, सचिव, /संयुक्त सचिव छत्तीसगढ़ शासन, जल संसाधन विभाग, मंत्रालय, रायपुर।
4. प्रमुख अभियंता, जल संसाधन विभाग, सिहावा भवन, रायपुर।
5. समर्त कलेक्टर, जिला छत्तीसगढ़।
6. समर्त मुख्य अधिकारी,
7. संचालक, जनसम्पर्क संचालनालय, इन्द्रायती भवन, नया रायपुर।
8. समर्त अधीक्षण अधिकारी, जल संसाधन मंडल,
9. समर्त कार्यपालन अभियंता, जल संसाधन संभाग,
10. रांबंधित कोषालगढ़ अधिकारी, जिला कोषालगढ़,
11. सर्वसंबंधित अधिकारी द्वारा—प्रमुख अभियंता, जल संसाधन विभाग, सिहावा भवन, रायपुर।
12. आदेश फोल्डर।

की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु अपेषित।

संयुक्त सचिव
छत्तीसगढ़ शासन,
जल संसाधन विभाग



छत्तीसगढ़ शासन
जल संसाधन विभाग
मंत्रालय
महानदी भवन, नया रायपुर
—:: आदेश ::—

नया रायपुर, दिनांक ५.०८.२०१७

क्रमांक एफ ०१-११/३१/स्था./२०१७ :: राज्य शासन एतदद्वारा प्रशासनिक दृष्टि से स्थानीय व्यवस्था के तहत श्री कुलदीप नारंग, कार्यपालन अभियंता, तांदुला जल संसाधन संभाग, दुर्ग को अस्थायी रूप से अगामी आदेश पर्यन्त कार्यालय अधीक्षण अभियंता, शिवनाथ मंडल, दुर्ग में पदस्थ करता है।

2. स्थानांतरित अधिकारी एक सप्ताह के भीतर कार्य मुक्त किये जायें। दिनांक 22.08.2017 की स्थिति में स्थानांतरित अधिकारी स्वमेव कार्यमुक्त माने जावेंगे।
3. स्थानांतरण आदेश का पालन कराया जाकर, पालन प्रतिवेदन समय-सीमा में उपलब्ध कराने की जिम्मेदारी संबंधित मुख्य अभियंता की होगी।
4. सामान्य प्रशासन विभाग द्वारा जारी स्थानांतरण नीति वर्ष 2017 में उल्लेखित प्रावधानुसार प्रशासकीय अनुमोदन प्राप्त किया गया है।

**छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से
तथा आदेशानुसार**

(नीलकण्ठ टीकाम)

संयुक्त सचिव

छत्तीसगढ़ शासन, जल संसाधन विभाग

नया रायपुर, दिनांक ५.०८.२०१७

पृष्ठांकन क्र. एफ ०१-११/३१/स्था./२०१७

प्रतिलिपि:-

1. मान० मंत्रीजी के विशेष सहायक, छत्तीसगढ़ शासन, जल संसाधन विभाग, मंत्रालय, नया रायपुर।
2. मान० संसदीय सचिव के निज राहायक, छत्तीसगढ़ शासन, जल संसाधन विभाग, मंत्रालय नया रायपुर।
3. स्टाफ ऑफिसर, सचिव, / संयुक्त सचिव छत्तीसगढ़ शासन, जल संसाधन विभाग, मंत्रालय, नया रायपुर।
4. प्रमुख अभियंता, जल संसाधन विभाग, सिंहावा भवन, रायपुर।
5. समर्त कलेक्टर, जिला छत्तीसगढ़।
6. समर्त मुख्य अभियंता,
7. रांचालक, जनराग्पर्क रांचालनालय, इन्द्रावती भवन, नया रायपुर।
8. समर्त अधीक्षण अभियंता, जल संसाधन मंडल,
9. समर्त कार्यपालन अभियंता, जल संसाधन रांभाग,
10. संबंधित कोषालय अधिकारी, जिला कोषालग,
11. सर्वसंबंधित अधिकारी द्वारा - प्रमुख अग्नियंता, जल संसाधन विभाग, सिंहावा भवन, रायपुर।
12. आदेश फौल्डर।

की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु अग्रेषित।

संयुक्त सचिव
छत्तीसगढ़ शासन,
जल संसाधन विभाग